



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 287 राँची, शुक्रवार,

19 मई, 2023 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

19 मई, 2023

संख्या-02/कृ०गो०रा०-07/2020(Part 2)-1269/कृ०---चूंकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री संजय कुमार, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चाईबासा के द्वारा दिनांक -17.08.2019 से 31.03.2020 तक जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग के पदस्थापन काल में डबल क्रॉपिंग राईस पैलो योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या - 05 दिनांक-17.05.2017 एवं 91 दिनांक-19.07.2019 तथा कनवर्जन ऑफ फैलो लैण्ड इंटू क्रॉण्ड एरिया योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-06 दिनांक-16.05.2018 में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से संबंधित आरोपों के संदर्भ में गठित आरोप पत्र में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-562 दिनांक-15.03.2022 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के सुसंगत नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था ।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गौरी शंकर मिंज विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, अवर सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री गौरी शंकर मिंज भा०प्र०से० (से०नि०), संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा दिनांक-09.09.2022 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप पत्र में गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव-बयान को स्वीकार योग्य बताया गया ।

विभाग स्तर पर जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी और यह पाया गया कि संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में साक्ष्यों की पूर्ण समीक्षा नहीं की गयी और इस मामले में संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी से पुनर्समीक्षा का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक-8273 दिनांक-29.12.2022 के द्वारा श्री कमल जॉन लकड़ा, से०नि०, भा०प्र०से० को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड से संबंधित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन का कार्य आवंटित किया गया है ।

उक्त आदेश के आलोक में प्रस्तुत मामले में पुनर्समीक्षा हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी०, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, अवर सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आनन्दमय बनर्जी,
सरकार के उप सचिव ।
